क्रम संख्या–109 (च)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 18 नवम्बर, 2025 ई0

कार्तिक 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग–1

संख्याः– 444/XXXVI-A-1/2025–294/2022

देहरादून, 18 नवम्बर, 2025

प0 आ0–77

प्रेषक,

प्रशान्त जोशी,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड,
मा0 उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी किये जाने हेतु आबद्ध ब्रीफ होल्डर की आबद्धता को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु ब्रीफ होल्डर (सिविल) के पद पर आबद्ध अधिवक्ता **श्री मोहित मौलेखी** की आबद्धता समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तराखण्ड शासन की ओर से श्री मोहित मौलेखी की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

3– कृपया उत्तराखण्ड राज्य की ओर से उन्हें आवंटित सभी वादों की सूची न्याय विभाग की ई–मेल आई0डी0 Judicialdepartmentuk@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रशान्त जोशी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51/न्याय/495–2025–100+20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।